1

Her Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385। No. 385। नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2013/फाल्गुन 2, 1934

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2013/PHALGUNA 2, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

1 (दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2013

का.आ. 416(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26 जून, 2012 की का.आ.सं. 1423(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।
- 4. अतः अब उक्त अधिनियम के खण्ड ।।-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

मॉडल टाउन परमेश्वरीवाला बाग में स्थित 1.065 हेक्टेयर क्षेत्र को "मनोरंजनात्मक"

(जिला पार्क) से "परिवहन" टी-2 (एमआरटीएस सम्पत्ति विकास) के भू-उपयोग को निम्निलिखित सीमाओं के साथ परिवर्तित किया जाता है :-

, स्थान	क्षेत्र	भू उपयोग (एमपीडी- 2021)	भूमि उपयोग का परिवर्तन	सीमाएं
मॉडल टाउन स्थित	1.065	"मनोरंजनात्मक"	"परिवहन"-टी2	उत्तर माल रो
परमेश्वरीवाला बाग में	हेक्टेयर	(जिला पार्क)	(एमआस्टीएस	दक्षिण-जिला के
यातायात एकीकरण और			सम्पति विकास)	पूर्व- जिला गिर्क
सम्पति विकास के लिए				पश्चिम-जिला 🖽 🗖
डीएमआरसी को आवंटित				
भ्मि ।				

[सं. के-13011/6/2012-]-[]

जे. पी. अग्रवाल, संयुव चिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2013

S.O. 416(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gaze of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.1423(E) dated 26th June, 2012 by Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by suspection (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice

- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in 1 Gazette of India.

Modification:

The change of land use of 1.065 Ha. from "Recreational" (District Park) to "Transportation" T-2 (MTRS property development) in Parmeshwariwala Bagh at Model Town with following boundaries:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Land allotted to DMRC for traffic integration and property development in Parmeshwariwala Bagh at Model Town	1.065 Ha.	'Recreational' (District Park)	'Transportation T-2 (MTRS property development)	North: Mall Road South: District Park East : District Park West: District Park

[No. K-13011/6/2012-DD-I]
J. P. AGRAWAL, Jt. Secy.